

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)

परियोजना पदाधिकारी, ए. बी. ओ. सी. पी. माइन, ब्लॉक II क्षेत्र ... प्रथम पक्ष
बनाम

श्रीमती गायत्री देवी एवं अन्य दो (02) व्यक्तियों ... द्वितीय पक्ष

क्रम स.	मुकदमा स.	द्वितीय पक्ष का नाम	थाना	थाना न.	आवास/ झोपडी	रकबा	जहाँ अवस्थित है
01	89/2022	गायत्री देवी	बाघमारा	84	झोपडी	0.02 एकड़	केसरगढ़
02	90/2022	बिदेश्वर सिंह	बाघमारा	84	झोपडी	0.03 एकड़	केसरगढ़
03	91/2022	शाम बाई	बाघमारा	84	झोपडी	0.025 एकड़	केसरगढ़

भा० को०को० लि० के परियोजना पदाधिकारी, ए. बी. ओ. सी. पी. माइन, ब्लॉक- II क्षेत्र ने लोक परिसर (अनधिकृत दखलकरो की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4(1) के अंतर्गत आपके विरुद्ध भू-सम्पदा न्यायालय, ब्लॉक- II क्षेत्र में मुकदमा दायर किया है।

मुकदमा में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु आपको सूचित किया गया था, परन्तु आप न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

पुनः स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा दिनांक: 22/12/2023 को हाजिर होकर कारण पृच्छा दाखिल करें अन्यथा एकतरफा कारवाई सुनिश्चित कर समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

भवदीय

ह0/- भू-सम्पदा पदाधिकारी
भू-सम्पदा न्यायालय, ब्लॉक-II क्षेत्र

यह सूचना बीसीसीएल की वैबसाइट www.bcclweb.in पर भी उपलब्ध है।